न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 352–एक/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–9–13 पारित द्वारा तहसीलदार, मल्हारगढ़ प्रकरण कमांक 104/अ–6/06–07.

1– मंशाबाई बेवा यशवंत कुमावत
2– हेमन्त कुमार पिता यशवंत कुमावत
3– हरीश कुमार पिता यशवंत कुमावत
4– रमेश कुमार पिता यशवंत कुमावत
निवासीगण ग्राम नारायणगढ़
तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर ....आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्यामाबाई पिता तुलसीराम कुमावत
2– गुड्डीबाई पिता तुलसीराम कुमावत
3– शांतिबाई पिता तुलसीराम कुमावत
4– ललिता उर्फ लीलाबाई पिता तुलसीराम कुमावत
निवासीगण ग्राम नारायणगढ़
तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर
5– सुन्दरलाल पिता तुलसीराम कुमावत
निवासी नारायणगढ़
हाल मुकाम भाभरा जिला झाबुआ ....अनावेदकगण

श्री दिनेश ब्यास, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बी0एल0 पण्ड्या, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/1/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, मल्हारगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–9–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा तहसीलदार, मल्हारगढ़ के समक्ष संहिता की धारा 109–110 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा नारायणगढ़ स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 2681 पैकी 1/3 हिस्सा उनकी माता केसरबाई का है, जिसका वसीयतनामा दिनांक 23–7–06

को केसरबाई द्वारा अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के पक्ष में किया गया है, और केसरबाई की मृत्यु हो चुकी है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर वसीयतनामा के आधार पर उनका नामांतरण किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 104/अ–6/06–07 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति की गई । तहसीलदार द्वारा दिनांक 10–9–13 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी तुलसीराम थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा सहमति पत्र प्रस्तुत कर अपना हक त्याग दिया था, अतः केसरबाई की मृत्यु पश्चात फर्जी वसीयतनामा के आधार पर अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा नामांतरण चाहा गया, अतः तहसीलदार को इसी आधार पर अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 का नामांतरण आवेदन पत्र निरस्त करना चाहिए था । यह भी कहा गया कि स्वयं केसरबाई द्वारा भी सहमति पत्र देकर अपना हक त्याग दिया था, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर जब केसरबाई का स्वत्व ही नहीं था, तब अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 का कोई हक होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 109–110 के अंतर्गत बने नामांतरण नियम एवं प्रावधानों को समझे बगैर तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जबकि उक्त प्रावधानों के अंतर्गत यदि स्वत्व के संबंध में आपत्ति उठाई जाकर दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है, तब उसे अभिलेख पर लेकर अंतिम आदेश के साथ निराकरण करना चाहिए था । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में दिनांक 17–2–2009 को इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि वसीयतनामा फर्जी एवं कूटरचित है, अतः अंगूठा की विशेषज्ञ से जांच कराई जाये, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

(2) तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी, और अपर आयुक्त द्वारा अंगूठा निशानी प्रस्तुत करने का अवसर आवेदकगण को

दिया गया था, जिसका पालन आवेदकगण द्वारा अभी तक नहीं किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण को लंबान में डालने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में अपने जवाब के साथ कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

(4) आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दिनांक 18–9–2006 को बटवारा आदेश पारित होकर आवेदकगण एवं केसरबाई की भूमियां पृथक–पृथक हो गई हैं ।

(5) पारिवारिक व्यवस्थानुसार बटवारा लेख दिनांक 29–6–2005 का है, तत्पश्चात सहमति पत्र बनाये गये हैं, जो कि स्पष्टतः संदिग्ध है, और सहमति लेख किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, और आवेदकगण की ओर से इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि अनावेदकगण द्वारा सहमति पत्र प्रस्तुत कर अपना हक त्याग दिया था, अतः उन्हें आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । इस संबंध में तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में निकाला गया यह निष्कर्ष अपने स्थान पर वैधानिक एवं उचित है कि चूंकि आवेदन पत्र अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इसलिए सहमति लेख महत्वहीन हो जाता है । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, मल्हारगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–9–13 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर